कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़

कार्यालय आदेश

विषय:- सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति के संबंध में।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 30 - GE-I/32/2023 दिनांक 05.01.2026 के अनुपालन में, सिविल सेवा परीक्षा (CSE) में सम्मिलित होने हेतु अनुमति के संबंध में निम्नलिखित निर्देश इस कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी हेतु जारी किए जाते हैं:

1. सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति केवल प्रारंभिक चरण में मुख्यालय कार्यालय से प्राप्त की जानी आवश्यक है, अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अथवा, उन मामलों में जहाँ किसी अधिकारी ने भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया हो, संबंधित वर्ष की मुख्य परीक्षा/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आवेदन करते समय।
2. एक बार मुख्यालय कार्यालय द्वारा प्रारंभिक चरण में अनुमति प्रदान कर दिए जाने के पश्चात, परीक्षा के आगामी चरणों, अर्थात् मुख्य परीक्षा अथवा व्यक्तित्व परीक्षण (जो भी लागू हो), में सम्मिलित होने के लिए पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. तथापि, परीक्षा के आगामी चरणों में सम्मिलित होने के संबंध में पूर्व सूचना मुख्यालय कार्यालय को जानकारी एवं अभिलेख हेतु प्रदान की जाएगी।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया जाता है। किसी भी प्रकार का विचलन गंभीरता से लिया जाएगा।

यह आदेश प्रधान महालेखाकार महोदय की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
Veenus Chaudhary
Date: 11-02-2026
16:29:19

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

क्रमांक: प्रशासन-**3/सीएजी/परिपत्र/172793/2025-26/1158** दिनांक: **11-02-2026**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना और अनुपालन के हेतु अग्रेषित: -

(1) प्रधान महालेखाकार के सचिव/निजि सचिव।
(2) सभी ग्रुप अधिकारियों के निजि सहायक।
(3) प्रशासन-1 व कार्य विविध (प्रशासन)।
(4) सभी अधिकारी//कर्मचारी (आंतरिक कार्यालय संदर्भ के माध्यम से)।

संदर्भ - WM(A)/25-26/1239 दिनांक - 12/02/26

इसकी प्रति सभी DA-अनुभाग के अधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ प्रेषित है।

व. लेखा अधिकारी

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E) HARYANA CHANDIGARH

OFFICE ORDER

Subject:- Regarding Permission for appearing in Civil Services Examination.

In pursuance of Headuarters' Circular No. 30 - GE-I/32/2023 dated 05.01.2026, the following instructions regarding permission for appearing in the Civil Services Examination (CSE) are hereby brought to the notice of all officials/officers of this office:

1. Permission to appear in the Civil Services Examination is required to be obtained from the Headquarters' Office only at the initial stage, i.e., at the time of applying for the Preliminary Examination or, in cases where an officer has applied prior to joining the Indian Audit & Accounts Department, at the time of applying for the Mains/Personality Test of the relevant year.
2. Once such permission has been accorded by the Headquarters' Office at the initial stage, no separate permission shall be required for appearing in the subsequent stages of the examination, namely the Mains Examination or the Personality Test, as applicable.
3. However, prior intimation regarding appearance in the subsequent stages of the examination shall be furnished to the Headquarters' Office for information and record.

All officials/officers are directed to strictly adhere to the above instructions. Any deviation shall be viewed seriously.

This issues with the approval of the Principal Accountant General.

Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn-3/CAG/CIRCULAR/172793/2025-26/1158 Dated: 11-02-2026

Copy of the above forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary/Sr. Private Secretary to the Pr. Accountant General
2. PAs' to all Group Officers
3. Administration-1 and WM(A) section
4. All officials/officers (through Internal Office Reference)